

कार्यालय जिला शिक्षा केन्द्र, ग्वालियर (म.प्र.)

दूरभाष 0751-2433387, फेक्स 0751-2452615, E-mail:zskgwl@rediffmail.com

विषय :- सूचना का अधिकार 2005 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कार्यालय की 17 बिन्दुओं की जानकारी :-

सूचना का अधिकार

लोक सूचना अधिकारी		अपील अधिकारी
श्री विनोद कुमार शर्मा (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत)	श्री के.के. दीक्षित (जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र ग्वालियर)	श्री राकेश श्रीवास्तव (कलेक्टर जिला ग्वालियर)

- 1- **बिन्दु क्र.-1** :- जिला शिक्षा केन्द्र ग्वालियर का वार्षिक कार्य योजना तैयार की जाती है। जिसमें संरचनात्मक ढांचा तैयार किया जाता है। संरचनात्मक स्वीकृत भरे रिक्त पदों का जानकारी संलग्न है।
- 2- **बिन्दु क्र.-2** :- कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों के नाम पद नाम संबंधी जानकारी :- (सूची संलग्न है)
- 3- **बिन्दु क्र.-3** :- कार्यालय में अपनायी जाने वाली निर्णय प्रक्रिया नियमानुसार प्रचलित है। (रेखाचित्र संलग्न है) कार्यालय के सेटअप अनुसार शाखावार जिम्मेवारी रेखाचित्रानुसार दर्शाया गया है।
- 4- **बिन्दु क्र.-4** :- कार्यालय में समय-सीमा में कार्य निपटाने गुणवत्ता बनाये रखने हेतु अधिकारियों/ कर्मचारियों के मध्य कार्य विभाजन किया जाकर दायित्व सौंपे गये हैं। सूची बिन्दु क्र. 1 अनुसार

कार्य सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये जिला शिक्षा केन्द्र ग्वालियर के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों को निम्नानुसार कार्य सौंपा जाता है :-

क्र	नाम प्रभारी अधिकारी	नाम शाखा प्रभारी	शाखा का नाम	डाटा फिडिंग कर्मचारी
1	श्री आर.एस.तरैटिया ए.पी.सी. (एफ)	1. श्री के.एल.छावडा	लेखा शाखा, एम.ई.आर., स्थापना , शिकायत, स्टोर, विधानसभा, आवक-जावक	श्री मनीष सक्सैना
		2. श्री आर.के. चतुर्वेदी श्री बी.पी. उप्रेती		
2	श्री ए.के.वर्मा (ए.ई.)	श्रीमती चंचल खत्री	निर्माण, विकासखण्ड यथावत्	श्रीमती दीपा सिंह सिसौदिया
		श्री पी.के. कश्यप	निर्माण, यथावत् टी.एल., पी.जी	

3	श्रीमती दीपा सिंह सिसौदिया (प्रोग्रामर)	श्री बी.पी. उप्रेती	एम.आई.एस., आई.पी.एम.एस., डाईस, हैडस्टार्ट ए,डबलू.पी, डी.ए म.आर.	श्री कृपाल सिंह
4	उमा सिंघल (ए.पी.सी. जेन्डर)	श्रीमती सरला शर्मा	एन.पी.ई.जी.ई.एल., के.जी.बी.व्ही, साइकिल वितरण, एच.डी.सी.	श्रीमती कामिनी मिश्रा
5	श्री एस.के. गर्ग (ए.पी. सी. अका.)	श्री गोपाल सिंह परमार	अकादमिक कार्य, प्रषिक्षण माईक्रोसाफ्ट प्रषिक्षण, आई.आर. आई.एडप्टस,रीडिंगराईटिंग, मोनीटरिंग	श्री कृपाल सिंह
		श्री राजेष गुप्ता	एम.डी.एम., कोर्ट, सूचना का अधिकार	
6	श्री अनिल मिश्रा (ए. पी.सी. मोबि.)	श्री भूपेन्द्र श्रीवास	मोबिलाईजेशन, परीक्षा, बैठकें, सामान्य	श्री मनीष सक्सैना एवं श्रीमती कामिनी मिश्रा
7	श्री राम किशोर शाक्यवार	श्री निंद गवांदे	ए.ई.आर.,पुस्तकालय,षोध कार्य	श्री कृपाल सिंह
		श्री श्रीकान्त शर्मा	पाठ्य पुस्तक, स्कूल चलें हम	

5- **बिन्दु क्र.-5** :- कार्यालय में उपयोग होने वाले तथा उपवद अधिनियम की सूची निम्नानुसार है :-

- म.प्र. जन शिक्षा अधिनियम 2002 और म.प्र. जन शिक्षा अधिनियम 2003 ।
- आदेश पुस्तिका भाग-1 ।
- आदेश पुस्तिका भाग-2 ।
- आदेश पुस्तिका भाग-3 ।
- आदेश पुस्तिका भाग-4 ।

6- **बिन्दु क्र.-6** :- कार्यालय में विभिन्न शाखावार अभिलेख तैयार किये गये है । शाखावार वर्गीकरण बिन्दु क्र.-3 अनुसार है ।

7- **बिन्दु क्र.-7 व 8** :-

जिला ईकाई के कार्य

- जिला परियोजना की स्वीकृति एवं अनुमोदन ।
- जिले मे योजना के अन्तर्गत संचालित विभिन्न कार्य[मों की प्रगति की समीक्षा ।

- जिले में गठित विभिन्न समितियों के कार्यों की समीक्षा।
- कार्यक्रम संचालन में आने वाली कठिनाईयों का निराकरण।
- अन्य कोई प्रकरण, अध्यक्ष की अनुमति से।

जिले इकाई की संरचना

1. जिला पंचायत के अध्यक्ष। (अध्यक्ष)
2. कलेक्टर पदेन जिला मिशन संचालक। (उपाध्यक्ष)
3. मुख्य कार्यपालन कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत। (सदस्य)
4. सहायक आयुक्त/जिला संयोजक अनुसूचित जाति,जनजाति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
5. उपसंचालक शिक्षा/ जिला शिक्षा अधिकारी।
6. प्राचार्य डाइट
7. जिला महिला बाल विकास अधिकारी।
8. जिला साक्षरता समिति के दो सदस्य। (नामांकित)
9. दो क्षेत्रीय विधायक। (सदस्य)
10. जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मानोनीत दो जनपद अध्यक्ष।
11. जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मानोनीत दो सरपंच।
12. जिला पंचायत की शिक्षा संबंधी स्थाई समिति के सभी सदस्य।
13. निम्न श्रेणियों के 07 प्रतिनिधि जिन्हें अपने क्षेत्र में किये गये कार्य के आधार पर शिक्षा मिशन द्वारा मानोनीत किया जायेगा। 1. स्त्री शिक्षा और विकास के क्षेत्र में कार्यरत महिलायें। 2. शिक्षाविद् सवयंसेवी संस्थायें समाजिक कार्यकर्ता, साहित्यकार (इनमें से कम से कम एक महिला और एक-एक सदस्य अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों में से होगा)। 3. जिले का एक राष्ट्रपति पुरुस्कृत शिक्षक।
14. जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा विकासखण्ड इकाईयों के अध्यक्षों में से एक मनोनीत व्यक्ति।
15. मिशन की नियमावली के नियम 8 में संवर्ग 15 एवं 17 में वर्णित शिक्षा मिशन की साधारण सभा के अधिकतम दो सदस्य।
16. जिला परियोजना समन्वयक। (सदस्य सचिव)

बैठकें

- प्रति तीन माह में बैठक बुलाई जायें।
- सदस्य सचिव का दायित्व होगा कि, वह बैठकें आमंत्रित करें।

जिला स्तरीय नियुक्ति समिति के कार्य

- जिन पदों को जिला स्तरीय नियुक्ति समिति द्वारा भरा जाना है। उन पदों पर प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा पर भर्ती हेतु अभ्यर्थियों का चयन करना।
- विभिन्न स्तर पर रिक्त पदों का आंकलन कर पदों की पूर्ति सुनिश्चित करना।
- कर्मचारियों हेतु निर्धारित सेवा शर्तों का पालन सुनिश्चित करना।

जिला स्तरीय नियुक्ति समिति की संरचना

1. जिला मिशन संचालक (कलेक्टर)	अध्यक्ष
2. जिला परियोजना संचालक (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत)	सदस्य
3. सहायक आयुक्त, अदिवासी विकास विभाग या उपसंचालक स्कूल शिक्षा	सदस्य
4. जिला पंचायत शिक्षा स्थाई समिति के अध्यक्ष	सदस्य
5. अध्यक्ष जिला पंचायत	सदस्य
6. राज्य परियोजना कार्यालय के प्रतिनिधि	सदस्य
7. शिक्षा मिशन द्वारा मनोनीत एक अषासकीय सदस्य	सदस्य
8. जिला इकाई द्वारा मनोनीत सात अषासकीय सदस्यों में से दो अषासकीय सदस्य	
9. जिला परियोजना समन्वयक	सदस्य सचिव

जिला स्तरीय क्रय समिति के कार्य

- जिला स्तरीय सामाग्री क्रय हेतु निविदायें आमंत्रित कर निविदाओं को फाईनल कर क्रय आदेश पारित करना।
- सामाग्री क्रय हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करना।
- जिला स्तर पर सामाग्री क्रय की जानकारी निर्धारित प्रपत्रों में प्रेषित सुनिश्चित करना।

- डाइट, आ.आर.सी.सी., सी.आर.सी., एवं शालाओं में सामाग्री क्रयकी प्रक्रिया एवं नियमों का पालन सुनिश्चित करना।

जिला स्तरीय क्रय समिति की संरचना

1. जिला पंचायत अध्यक्ष	अध्यक्ष
2. जिला मिषन संचालक	उपाध्यक्ष
3. जिला परियोजना संचालक	सदस्य
4. जिला अपर परियोजना संचालक	सदस्य
5. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास या उपसंचालक स्कूल शिक्षा जो कि, अपर परियोजना संचालक ना हो।	सदस्य
6. जिला पंचायत की शिक्षा स्थाई समिति के अध्यक्ष	सदस्य
7. संयुक्त संचालक शिक्षा	सदस्य
8. राजीव गाँधी शिक्षा मिषन द्वारा मनोनीत एक अषासकीय सदस्य	सदस्य
9. जिला इकाई द्वारा मनोनीत सात अषासकीय सदस्यों में से एक अषासकीय सदस्य	सदस्य
10. जिला परियोजना समन्वयक	सदस्य सचिव

जिला स्तरीय अनुदान समिति के कार्य

- जिला स्तर पर अनुदान संबंधी प्रस्तावों का परीक्षण कर प्रस्तावों के अनुमोदन हेतु कार्यवाही करना।

जिला स्तरीय अनुदान समिति की संरचना

1. जिला मिषन संचालक (कलेक्टर)	अध्यक्ष
2. जिला परियोजना संचालक (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत)	सदस्य
3. सहायक आयुक्त, अदिवासी विकास विभाग या उपसंचालक स्कूल शिक्षा	सदस्य
4. प्राचार्य डाइट	सदस्य
5. जिला पंचायत की शिक्षा स्थाई समिति के अध्यक्ष	सदस्य
6. राजीव गाँधी शिक्षा मिषन द्वारा मनोनीत दो अषासकीय सदस्य	सदस्य

7. जिला इकाई द्वारा मनोनीत सात अषासकीय सदस्यों

में से दो अषासकीय सदस्य

सदस्य

8. जिला परियोजना समन्वयक

सदस्य सचिव

जिला स्तरीय निर्माण समिति के कार्य

- जिला स्तर पर समस्त निर्माणकार्यों की गतिविधियों का क्रियान्वयन करना।
- निर्माण कार्य हेतु विस्तृत दिशा निर्देश एवं प्रक्रिया निर्धारित करना।
- जिला विकासखण्ड एवं ग्राम निर्माणसमितियों का अनुवीक्षण करना।
- निविदायें आमंत्रित कर निविदाओं को फाईनल करना।

जिला स्तरीय निर्माण समिति की संरचना

- | | |
|---|------------|
| 1. जिला मिशन संचालक (कलेक्टर) | अध्यक्ष |
| 2. जिला परियोजना संचालक (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत) | सदस्य सचिव |
| 3. ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्री | सदस्य |
| 4. मिशन अथवा जिला शिक्षा केन्द्र का इंजीनियर | सदस्य |
| 5. लोक निर्माण विभाग / जल संसाधन विभाग के कार्य पालन यंत्री | सदस्य |
| 6. राजीव गाँधी शिक्षा मिशन द्वारा मनोनीत दो अषासकीय सदस्य | सदस्य |
| 7. ईप्कों के जिले में कार्यरत प्रतिनिधि / किसी निर्माण संस्था से जुड़े इंजीनियर | सदस्य |
| 8. जिला परियोजना समन्वयक | सदस्य |

विकासखण्ड इकाई के कार्य

- विकासखण्ड की परियोजना की स्वीकृति एवं अनुमोदन।
- विकासखण्ड में योजना के अन्तर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा।
- विकासखण्ड में गठित विभिन्न समितियों के कार्यों की समीक्षा।
- कार्यक्रम संचालन में आने वाली कठिनाईयों का निराकरण।
- अन्य कोई प्रकरण अध्यक्षकी अनुमति से।

विकासखण्ड इकाई की संरचना

1. जनपद पंचायत के अध्यक्ष। (अध्यक्ष)
2. मुख्य कार्यपालन कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत। (उपाध्यक्ष)
- 3- अनुसूचित जाति,जनजाति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के विकासखण्ड स्तर के अधिकारी
(नॉन ट्रायवल विकासखण्ड में) सदस्य
- 4- ओपचारिकेत्तर शिक्षा कायोजना अधिकारी सदस्य
5. डी.पी.ई.पी. में गठित होने वाले विकासखण्ड प्रशिक्षण केन्द्र के समन्वयक सदस्य
6. आई.सी.डी.एस./ई.सी.सी.ई. के योजना अधिकारी सदस्य
- 7- क्षेत्रीय विधायक। सदस्य
8. जनपद पंचायत शिक्षा सम्बन्धी स्थाई समिति के सभी सदस्य सदस्य
- 9- निम्न श्रेणियों के 07 प्रतिनिधि जिन्हें अपने क्षेत्र में किये गये कार्य के आधार पर शिक्षा मिशन द्वारा मानोनीत किया जायेगा। 1. स्त्री शिक्षा और विकास के क्षेत्र में कार्यरत महिलायें। 2. शिक्षाविद् सवयंसेवी संस्थायें समाजिक कार्यकर्ता, साहित्यकार (इनमें से कम से कम एक महिला और एक-एक सदस्य अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों में से होगा)। 3. जिले का एक राष्ट्रपति पुरुस्कृत शिक्षक। (नामांकित सदस्य)
10. जनपद पंचायत के अध्यक्ष द्वारा नामांकित विकासखण्ड की ग्राम शिक्षा समितियों के अषासकीय सदस्यों में से दो व्यक्ति सदस्य
11. जिला इकाई द्वारा नामांकित एक व्यक्ति जिसका प्राथमिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण में योगदान और अनुभव रहा हो। सदस्य
12. जनपद अध्यक्ष द्वारा मनोनीत चार सरपंच सदस्य
13. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव

बैठकें

- प्रति तीन माह में बैठक बुलाई जायें।
- सदस्य सचिव का दायित्व होगा कि, वह बैठकें आमंत्रित करें।

विकासखण्ड स्तरीय क्रय समिति की संरचना

1. जनपद पंचायत की शिक्षा समिति के अध्यक्ष	अध्यक्ष
2. जनपद पंचायत की शिक्षा समिति के सभी सदस्य	सदस्य
3. विकासखण्ड स्रोत समन्वयक	सदस्य
4. स्थानीय प्राथमिक शाला के प्राधानाध्यापक	सदस्य
5. जिला परियोजना कार्यालय का प्रतिनिधि	सदस्य
6. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी	सदस्य सचिव

विकासखण्ड स्तरीय निर्माण समिति की संरचना

1. जनपद अध्यक्ष	अध्यक्ष
2. जनपद के 02 निर्वाचित सदस्य (जिनमें कम से कम एक महिला हो)	सदस्य
3. जनपद पंचायत द्वारा नामांकित 02 गैर शासकीय/समाजिक कार्यकर्ता	सदस्य
4. ग्रामीण यांत्रिकी सेवा/ जिला शिक्षा केन्द्र का इंजीनियर/अन्य विभाग का समकक्ष इंजीनियर	सदस्य
5. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी/विकासखण्ड स्रोत समन्वयक	सदस्य सचिव
6. विकासखण्ड स्रोत अकादमिक समन्वयक	सदस्य

9 **बिन्दु क्र.-9 व 10** :- कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के नाम पदनाम की सूची बिन्दु क्र-2 अनुसार, अधिकारियों/कर्मचारियों को म.प्र. शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार निर्धारित सुविधायें समय-समय पर उपलब्ध कराई जाती है।

11- **बिन्दु क्र.-11** :- कार्यालय के लिये वर्षानुसार मदवार बजट आवंटन तथा उसके उपयोग की जानकारी संलग्न है। शिक्षा मिशन की बजट संबंधी जानकारी कोषालय को उपलब्ध नहीं कराई जाती है।

12- **बिन्दु क्र.-12** :- शिक्षा मिशन द्वारा सीधे किसी हितग्राही को राषि जारी करने का प्रावधान नहीं है। शैक्षणिक संस्थाओं में पालक शिक्षक संघ के माध्यम से राषि का उपयोग किया जाता है। जिसे प्रतिमाह अद्यतन किया जाता है।

13- **बिन्दु क्र.-13** :- बिन्दु क्र.-12 अनुसार।

14- **बिन्दु क्र.-14** :- कार्यालय में उपलब्ध जानकारियों की सूची

15- **बिन्दु क्र.-15** :- आम नागरिकों से सीधा संवाद नहीं है।

16- **बिन्दु क्र.-16** :- लोक सूचना अधिकारी – श्री विनोद शर्मा मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत ग्वालियर, सहायक लोक सूचना अधिकारी – श्री के.के. दीक्षित जिला
परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान ग्वालियर
अपील अधिकारी – श्री राकेश श्रीवास्तव कलेक्टर, जिला ग्वालियर।

17- **बिन्दु क्र.-17** :- निरंक

४

संलग्न :- उपरोक्त बिन्दुवार सूचीयाँ।

जिला परियोजना समन्वयक
जिला शिक्षा अधिकारी ग्वालियर म.प्र.

SPO-Received	334.22	SPO-Received	121.96	SPO-Received	45.40
Total	769.39	Total	121.96	Total	45.66805
व्यय	424.96	व्यय	105.39	व्यय	15.35
शेष	344.43	शेष	16.57	शेष	30.31805

उपलब्ध राशि के विरुद्ध व्यय प्रतिशत	55.23	उपलब्ध राशि के विरुद्ध व्यय प्रतिशत	86.41	उपलब्ध राशि के विरुद्ध व्यय प्रतिशत	33.61
AWP अनुसार 3479.31	12.21	AWP अनुसार 233.76	45.08	AWP अनुसार 105.47	14.55
वर्तमान माह का व्यय	51.89773	वर्तमान माह का व्यय	0.36257	वर्तमान माह का व्यय	0.00

जिला परियोजना समन्वयक
जिला शिक्षा अधिकारी ग्वालियर म.प्र.